न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–45/2018 वाद पत्र

अनवान

1. रामलाल पिता चम्पालाल जाट निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1. तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 02.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प झडोल मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झडोल में प्रार्थी के नाम कृषि भूमि गत आराजी नम्बर 1066 बिस्वा भूमि जिसके हाल ख0न0 1881 रकबा 0.19 हैक्ट दर्ज रेकार्ड है। परन्तु उक्त खाते में प्रार्थी के पिताजी के नाम के बजाय प्रार्थी के दादाजी का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि अन्य खातो में नाम सही है। प्रार्थी का सजरा इस प्रकार है

मोजीराम पिता मोती(फौत)
↓
चम्पालाल(फौत)
↓
रामलाल(पुत्र) सोसर(पत्नी)

अतः सजरे अनुसार खाते में रामलाल पिता मोजीराम सोसर पत्नि मोजीराम की बजाय रामलाल पिता चम्पालाल सोसर पत्नि चम्पालाल के रूप में शुद्ध करने की डिकी फरमाई जावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 02.06.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी एवं प्रतिवादी स्वंय उपस्थित है। प्रतिवादी तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर के अनुसार रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ. नि. के अनुसार जमाबंदी के खाता में प्रार्थी का नाम रामलाल पिता मोजीराम सोसर पत्नी मोजीराम दर्ज है जबकि मोजीराम प्रार्थी का दादा है प्रार्थी का पिता चम्पालाल है। अतः खाते में रामलाल पिता चम्पालाल व सोसर पत्नि चम्पालाल किया जाना उचित है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम झडोल की खसरा न0 1881 रकबा 0.19 हैक्ट रामलाल पिता चम्पालाल व सोसर पत्नि चम्पालाल दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः

आदेश

ग्राम झडोल की खसरा न0 1881 रकबा 0.19 हैक्ट रामलाल पिता चम्पालाल व सोसर पत्नि चम्पालाल दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता हैं। तद्नुसार डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 02.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(हस्ताक्षर)

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा (राज)

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–45 / 2018 वाद पत्र

अनवान

1. रामलाल पिता चम्पालाल जाट निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1. तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर ग्राम झडोल की खसरा न0 1881 रकबा 0.19 हैक्ट रामलाल पिता चम्पालाल व सोसर पत्नि चम्पालाल दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

अंतिम डिक्री आज तारीख 02.06.2018 मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा